



Case No. 94/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

डॉ. कुमार ताराचंद

उपायुक्त

जिला लोहरदगा

समाहरणालय, लोहरदगा,

झारखंड 835302

E.mail: dc-loh@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **09/10/2025** को **16:30 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में शिवराज उराँव -श्री, ग्राम व थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा, झारखण्ड का पत्र
- (ii) आयोग का सीटिंग नोटिस दिनांक 11.09.2025

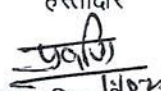
यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **01/10/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



Copy to: - NIC for uploading

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003